(8)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 84/2017

GCMS CASE NO-2017/00113

1. मुखराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी गोलूवाला हाल आबाद चक 4 बीजेडब्ल्यू तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

......प्रार्थी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 3 सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. जयनारायण पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 3 सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

........अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय — दिनांक 15.07.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है।

1. यह कि अप्रार्थीया ने जरिये मिसल न0 3068/2007 निर्णय दिनांक 29.03.2008 को बिना कोई रकबा सरप्लस किये व बिना कब्जा काश्त किये रोही भोजेवाला के ख.न. 57 में 15.00 बीघा रकबा जरिये बालिग पुत्र आवंटन करवाया था। अप्रार्थीगण ने बिना पर्चा खतोनी जारी किये व बिना कोई कब्जा काश्त किये चक 4 बीजेडब्ल्यू द्वितीय के प.न. 32/21 के कि.न. 13 ता 18, 19 में 1.771 है0 व प.न. 32/13 के कि.न. 17 ता 20 में 1.012 है0 व प.न. 32/5 के कि.न. 16 व 23, 25 में 0.759 है0 रकबा अपने नाम पुख्ता आवंटन दर्शा कर खातेदारी खातेदारी जारी करवा ली जो कि कब्जा आज भी प.न. 32/5 का कि.न. 16,23 ता 25 पर प्रार्थीगण का है इसलिये आवंटन आदेश करवा लिया जो कतई गलत है। अतः आवंटन मिसल न0 3068/2007 निर्णय दिनांक 29.03.2008 के रकबा को खारिज किया जाकर रकबा राज दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीया ने जरिये मिसल न0 3068/2007 निर्णय दिनांक 29.03.2008 को बिना कोई रकबा सरप्लस किये व बिना कब्जा काश्त किये रोही भोजेवाला के ख.न. 57 में 15.00 बीघा रकबा जरिये बालिग पुत्र आवंटन करवाया था। अप्रार्थीगण ने बिना पर्चा खतोनी जारी किये व बिना कोई कब्जा काश्त किये चक 4 बीजेडब्ल्यू द्वितीय के प.न. 32/21 के कि.न. 13 ता 18, 19 में 1.771 है0 व प.न. 32/13 के कि.न. 17 ता 20 में 1.012 है0 व प. न. 32/5 के कि.न. 16 व 23, 25 में 0.759 है0 रकबा अपने नाम पुख्ता आवंटन दर्शा कर खातेदारी खातेदारी जारी करवा ली जो कि कब्जा आज भी प.न. 32/5 का कि.न. 16,23 ता 25 पर प्रार्थीगण का है इसलिये आवंटन आदेश करवा लिया जो कतई गलत है। अतः आवंटन मिसल न0 3068/2007 निर्णय दिनांक 29.03.2008 के रकबा को खारिज किया जाकर रकबा राज दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।
3. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कथन लिखित जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रोही भोजेवाला का ख.न. 57 में 15.00 बीघा भूमि हमारे पिता का टीसी आवंटन रकबा जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा हमारे पिता के नाम से दिनांक 14.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

2007 को सरप्लस कर दिया तथा यह रकबा दिनांक 5.3.2008 को बालिग पुत्र में पूर्णतया विधि सम्मत तरीके से पुख्ता आवंटन किया है तथा इस रकबे की खातेदारी अधिकार सनद संख्या 3250 दिनांक 24.12.2014 को जारी हो चुके है। रोही भोजेवाला के ख.न. 57 के 15.00 बीघा रकबा चक 4 बीजेडब्ल्यू द्वितीय के प.न. 32/5 के कि.न. 16-23ता25 में 1.012 है0 तथा प.न. 32/13 के कि.न. 17ता20/0.987 है0 प.न. 32/21 के कि.न. 13 ता 19/1.771 है0 कुल 3.770 है0 रकबा पैमूद हुआ तथा इस रकबे के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी के नाम जारी हो चुके है। इस रकबे पर प्रार्थी का कतई कब्जा काश्त नही है। इस रकबा की पूर्व में भी इसी न्यायालय में शिकायत प्र.स. 90/2008 मं रामकौरी बेवा गणेशसिंह ने इन्ही तथ्यों के आधार पर पेश की थी। जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा 9.6.2008 को शिकायत क्षेत्राधिकार से बाहर मानकर आवंटन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। इन निर्देश देने तक के आंशिक निर्णय के खिलाफ हम अप्रार्थीगण ने निगरानी संख्या 5877/2009 अनवान आत्माराम बनाम रामकौरी पेश किया जिसे राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 15.04.2011 को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने भी आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत दिनांक 26.02.2014 को खारिज कर दी थी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी के पिता के हिस्से में चक 8 एसजीआर के 25.00 बीघा में सातवा हिस्सा यानि 3.12 बीघा रकबा मिला था व रोही किशनपुरा में केवल 9.04 बीघा रकबा हिस्से में आया था इसलिए सीलिंग सीमा से ज्यादा रकबा होने का सवाल पैदा नहीं होता है। स्मालपेच व मीडियमपेच तो सीलिंग सीमा तक आवंटन किये जा सकते है तथा स्माल पेच के विरूद्ध तो प्रार्थी ने अलग से अपील तक पेश कर दी थी हो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आज भी निगरानी जैरकार है। अतः अप्रार्थी के नाम मि. न. 3068/2007 निर्णय दिनांक 29.03.2008 के विरूद्ध इसी न्यायालय से शिकायत प्रार्थना पत्र का निर्णय हो चुका है तथा रकबा खातेदारी हो चुका है तथा आवंटन भी आज से 12 वर्ष पुराना है तथा किसी भी तथ्या को छुपाया नहीं है है व कोई झूठा तथ्य पेश नहीं किया है इसलिये प्रार्थनापत्र पूर्णतया क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनगढंत रूप से पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रोही भोजेवाला का ख.न. 57 में 15.00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता को टीसी आवंटन रकबा जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के नाम से दिनांक 14.09.2007 को सरप्लस कर दिया तथा यह रकबा आवंटन सलाहकर समिति की राया पर दिनांक 29.3.2008 को बालिग पुत्र में पूर्णतया विधि सम्मत तरीके से आरक्षित दरो पर पुख्ता आवंटन किया है तथा इस रकबे की खातेदारी अधिकार सनद संख्या 3250 दिनांक 24.12.2014 को जारी हो चुके है। रोही भोजेवाला के ख.न. 57 के 15.00 बीघा रकबा चक 4 बीजेडब्ल्यू द्वितीय के प.न. 32/5 के कि.न. 16-23ता25 में 1.012 है0 तथा प.न. 32/13 के कि.न. 17ता20/0.987 है0 प.न. 32/21 के कि.न. 13 ता 19/1.771 है0 कुल 3.770 है0 रकबा पैमूद हुआ तथा इस रकबे के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी के नाम जारी हो चुके है। इस रकबे पर प्रार्थी का कतई कब्जा काश्त नही है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने भी आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत दिनांक 26.02.2014 को खारिज कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 11-14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम सारहीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय की मूल रिकॉर्ड ... प्रति के साथ लौटाया जावे निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को ... जावे पत्रावली मिसल फैंसल शुमार होकर दाखिल ... हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्रीगंगानगर)